न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 99/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
देवकिशन पुत्र मेघराज जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी		1. नारायण कुमावत पुत्र दलीचन्द कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुम्हारों का बास, बाप तहसील बाप, जिला फलौदी

प्रफोर्मा प्रत्यथीगण–

2. रूपादेवी पत्नी लूणकरण, जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप जिला फलौदी
3. सागीदान पुत्र लूणकरण, जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप जिला फलौदी
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलौदी

राजस्व अपील संख्या 100/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
देवकिशन पुत्र मेघराज जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी		1. नारायण कुमावत पुत्र दलीचन्द कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुम्हारों का बास, बाप तहसील बाप, जिला फलौदी

प्रफोर्मा प्रत्यथीगण–

2. रूपादेवी पत्नी लूणकरण, जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप जिला फलौदी
3. सागीदान पुत्र लूणकरण, जाति पालीवाल, निवासी ग्राम बाप, तहसील बाप जिला फलौदी
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलौदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलौदी दिनांक 15.04.2024 राजस्व अपील संख्या 07/2023 व 08/2023 अनवान नारायण कुमावत बनाम तहसीलदार बाप वगैरा

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री रोशन लाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.11.2024

उपरोक्त दोनो अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से दोनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उपरोक्त अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2023 एवं 08/2023 अनवान नारायण कुमावत बनाम तहसीलदार बाप वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाप के मूल खसरा नं0 639/20 रकबा 0.66.37 हैक्टर भूमि पूर्व में राजकीय भूमि मगरा के रूप में स्थित थी। जो पुराने कब्जा एवं काश्तधारी सांगीदान व रूपादेवी को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 में दिनांक 31.8.18 को नियमन कर, नियमन आदेश के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 3735(1530) एवं 3732(1529) दिनांक 28.2.23 कब्जाधारी के नाम दर्ज हुई। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–नारायण कुमावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो पृथक– पृथक अपीले क्रमशः 07/2023 एवं 08/2023 प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 में पारित आदेश क्रमांकः नियमन/2018/ 1458 एवं आदेश क्रमांकः नियमन/2018/1458 दिनांक 31.08.

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2018 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3735 एवं 3735 दिनांक 28.2.23 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–नारायण कुमावत द्वारा आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत राजस्व प्रथम अपीलें ना0क0सं0 3735 एवं 3732 दिनांक 28.2.23 के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत की गई कि ग्राम बाप के ख0नं0 639/20 रकबा 0.6637 हैक्टर भूमि की किस्म गैर मुमकिन रकबा के रूप में दर्ज थी। तहसीलदार बाप द्वारा इसके नये खसरा नं0 2730/2729 अंकित कर ना0क0सं0 3735(1530) रूपा देवी पत्नी लूणकरण के नाम तथा ख0नं0 2728/639 अंकित कर ना0क0सं0 3732 (1529) सांगीदान पुत्र लूणकरण के नाम पारित कर दिया गया। जबकि ग्राम बाप के मूल ख0नं0 639/20 वर्तमान ख0नं0 2728/639 व 2730/2729 की भूमि पूर्व में राजकीय भूमि थी। जो पुराना कब्जा एवं काश्त होने से प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण रूपादेवी पत्नी लूणकरण एवं सांगीदान पुत्र लूणकरण को विधिवत नियमन किया गया एवं उस नियमन के आधार पर ना0क0सं0 3732(1529) एवं 3735(1530) अलग –अलग स्वीकृत किये गये है। रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–नारायण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नियमन आदेश को चुनौति न देकर उस आदेश के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलें पेश की गई। जो कानूनन पोषणीय नही थी। यदि नियमन गलत हुआ है तो कानूनन धारा 14(4) में नियमन को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता। रेस्पो0सं0 1–अपीलांट नियमन आदेश में पक्षकार नही था तथा न ही ना0क0 स्वीकृत होने में पक्षकार था। इस कारण अजनबी व्यक्ति बिना अनुमति मांगे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कर सकता था और न ही बिना अनुमति के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीले गुणावगुण पर निर्णित की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रक्रियाओं को अपनाये एक ही निर्णय में दो नामान्तरकरणों को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.4.24 को पेश किया, जिसे उसी दिन खारिज कर, मूल अपील निर्णित कर दी गई। जबकि तत्समय विचाराधीन अपील में मूल रेकर्ड प्राप्त नही हुआ था तथा प्रभावित पक्षकार प्रत्यर्थी सं0 2–रूपादेवी व सांगीदान के नोटिस विधिवत तामिल नही हुए थे। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के पश्चात दिनांक 1.3.23 को रूपादेवी एवं सांगीदान द्वारा वर्तमान ख0नं0 2730/2729 एवं 2728/639 का पंजीबद्ध आम मुख्त्यारनामा भोमराज पालीवाल के पक्ष में निष्पादित किया एवं भोमराज द्वारा दिनांक 21.3.23 को मौजूदा अपीलांट के पक्ष में जरिये आम मुख्त्यार पंजीबद्ध बेचाननामा कुल रकबा 3550 वर्गफुट का निष्पादित कर दिया गया। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि का सदभाविक क्रेता व कानूनी मालिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने तथा ना0क0सं0 3735(1530) एवं 3732(1529) दिनांक 28.2.23 एवं नियमन आदेश को बहाल करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2005(2) Page N0 774, CCC 2013(1) Page No 833, RRT 2020(1) Page No 804, RRD 1993 Page No 232 & RRT 2010(2) 1222 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम बाप के ख0नं0 639/20 रकबा 0.6637 हैक्टर भूमि, जिसके नये ख0नं0 2730/2729 एवं 2728/639 अंकित करते हुए तहसीलदार बाप द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के अंतर्गत नियमन आदेश वर्ष 2018 में पारित किए गये थे। उक्त सरकारी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा थी। नियमन आदेश के आधार पर वर्ष 2023 में ना0क0सं0 3735(1530) एवं 3732(1529) दिनांक 28.2.23 पारित हुए, जबकि नियमन आदेश अस्तित्व में नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विवेचन में सांगीदान व उसकी माता रूपादेवी को भूमिहीन व्यक्ति नही होने से नियमन का हकदार नही होना मानते हुए इन दोनों के पक्ष में पारित नियमन आदेश को खारिज कर, नियमन के आधार पर पारित ना0क0 निरस्त कर दिये गये है। अतः उक्त खसरान की भूमि में जरिये आममुख्त्यार बेचान स्वतः ही प्रभाव शून्य होने अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय–अपर जिला कलेक्टर फलौदी को अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार बाप द्वारा पारित नियमन आदेश क्रमांकः 1458 एवं 1468 दिनांक 31.8.18 को निरस्त करने का अधिकार नही है। द्वितीय उक्त नियमन आदेश के प्रभाव में रहते इनकी पालना में पारित ना0क0सं0 3735(1530) एवं 3732(1529) दिनांक 28.2.23 निरस्त नही किए जा सकते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील 07/2023 एवं 08/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रचलित विधि अनुसार पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे तथा तब तक अपीलाधीन निर्णय से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकर्ड में बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर